केन्द्रीय विभाग तो नागरी अंकों का प्रयोग कर रहे हैं परन्तु हमारा शिशु विभाग जब हिन्दी अक्षर लिखता है तब अंक अंग्रेजी के प्रयोग करता है। मैं अभी वर्धा गया तो मालूम हुआ कि मध्य प्रदेश के इस विभाग ने यह लिख कर भेजा है कि तुम अंग्रेजी अंकों का प्रयोग करो। यह कोई कांस्टीट्यूशन की बात नहीं है। यदि केन्द्र चाहे तो अपने आफिशियल परपजेज के लिये अंग्रेजी अंकों का प्रयोग कर सकता है। मेरा विश्वास है कि इस विभाग को इस विषय में एक दुराग्रह सा हो गया है।

इतना दुराग्रह इस बात में करके वे हिन्दी की सहायता नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हम अपने घर को सम्हालें, अपने शिक्षा विभाग को सम्हालें। हमारा वह यत्न हो कि यह जो हमारी प्राचीन लिपि और अंक हैं, उनको हम दूसरों के सामने रखें। चीन में आज इसका अवसर है और मैं इसपर जोर देना चाहता हूं। मैंने सोचा था कि इसके सम्बन्ध में मै कभी प्रधान मंत्री से अलग बात करूंगा, मगर आज अवसर मिल गया और प्रधान मंत्री जी यहां इस समय मौजूद भी हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि यहीं पर उनसे अपनी बात कह दूं। अगर और अधिक विस्तार में इस विषय में वे जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझें तो मैं फिर उनसे इस सम्बन्ध में विस्तार से निवेदन कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आज परराष्ट्रों में जो हमारे दूत मौजूद हैं, उनके सामने अपनीं राष्ट्रभाषा और लिपि के गौरव की बात रखी जाये। मेरा तो विश्वास है कि भले ही आज यह चीज सम्भव न हो लेकिन कुछ वर्षों बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को एक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। आज वहां पर ५ भाषाओं को मान्यता दी गई है लेकिन वह दिन दूर नहीं हैं जब हिन्दी को वहां पर माना जायगा और वह दिन हमारे लिये गौरव का दिन होगा। हिन्दी को वहां पर मनवाना होगा। अगर आज हम अपनी लिपि को चीन को भेंट करें और इस भेंट को वे स्वीकार कर उस पर अमल करें तो मैं समझता हूं कि एशिया भर के लिये यह अच्छा मार्ग दर्शन का काम होगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लोक-सभा के समक्ष भाषण करने के अनेक अवसर प्राप्त हुये हैं और उन्हें मैंने अपना सौभाग्य समझा है परन्तु आज का भाषण मैं कर्त्तव्य समझ कर ही दे रहा हूं।

हमने चार दिन तक राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को दिऐ गये अभिभाषण पर चर्चा की। उस अभिभाषण को माननीय श्री चटर्जी ने एक अवर-सचिव द्वारा लिखित तीसरे दर्जे का प्रतिवेदन बताया। यह ठीक है कि माननीय सदस्य योग्यता रखते हैं और वे वैसा कह सकते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में ऐसा कहना संभवतः उचित नहीं है। अन्य माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की कि अभिभाषण में कतिपय विषयों का उल्लेख नहीं है। श्री अशोक मेहता और संभवतः सरदार हुक्म सिंह ने कहा कि उसमें वैदेशिक कार्यों को बहुत स्थान दिया गया है और अन्य विषयों को बहुत कम। अन्य लोगों ने यह कहा कि उसमें केन्या या कुछ अन्य स्थानों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं था।

मैंने लोक-सभा से अनेक बार निवेदन किया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वरूप कैसा होना चाहिये इसके सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या है। हम संसदीय प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं और किसी हद तक हमने यह प्रक्रिया ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहां दिये जाने वाले राजा के अभिभाषण से ली है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें उसका अक्षरशः अनुसरण करना चाहिये। परन्तु सामान्यतः राज्य का प्रधान, अमेरिका तथा उसके समान संविधान वाले देशों को छोड़ कर, वैदेशिक तथा आन्तरिक नीतियों का विस्तृत पुनरीक्षण और उन पर अपनी सम्मति नहीं प्रस्तुत करता। अमेरिका में तो राज्य का प्रधान सरकार का भी प्रधान होता है इसलिये उसकी स्थिति विशिष्ट होती है और वह राष्ट्र के नाम सन्देश देता है। परन्तु हमारे देश में राज्य का प्रधान सरकार का प्रधान नहीं है, और उसकी स्थिति भिन्न

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

है। वह तो राज्य के सांवैधानिक प्रधान के समान है और हमारी विचारधारा के अनुसार उसके संसद को सम्बोधित अभिभाषण में मुख्यतः दो बातों का उल्लेख होना चाहिये। एक तो वैदेशिक कार्यों का निर्देश और दूसरे विधान का निर्देश जो कि संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा। वह अन्य विषयों का निर्देश भी कर सकता है। राष्ट्रति सामान्यतः अपने अभिभाषण को इसी दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः यह ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति विवादग्रस्त विषयों में बहुत गहराई तक जाये यद्यपि उसे तत्कालीन सरकार के दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति करनी होती है। इसलिये यदि हम इस बात को ध्यान में रखें तो यह आवश्यक प्रतीत होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में वैदेशिक कार्यों का उल्लेख होना चाहिये क्योंकि वह न केवल संसद् या देश के लिये होता है वरन् अन्य देशों के लिये भी। वैदेशिक कार्यों का उल्लेख संक्षिप्त होता है या विस्तृत यह इस बात पर निर्भर रहता है कि गत वर्ष में वैदेशिक कार्यों के क्षेत्र में कैसी घटनायें घटित हुईं। इसलिये मैं लोक-सभा से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार करते समय यह बात याद रखें।

यह ठीक है कि इस विवाद में, जो गत चार दिनों में हुआ है, वैदेशिक कार्यों के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहा गया है; थोड़ा सा आर्थिक नीति के सम्बन्ध में कहा गया है; परन्तु अधिकांश में यह विवाद राज्य पुनर्गठन के प्रश्न पर ही केन्द्रित रहा है। वह ठीक है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसने हम सबको प्रभावित किया है। फिर भी, जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का सम्बन्ध है, हमें ऐसे महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में भी उनके द्वारा विस्तृत उल्लेख किये जाने की आशा नहीं करनी चाहिये; उसका सामान्य रूप से ही उल्लेख किया जा सकता है। इसलिये मैं उन परिस्थितियों के सम्बन्ध में कहूंगा जो कि राज्यपुनर्गठन के सम्बन्ध में उत्पन्न हो गई है, परन्तु वैसा करने के पूर्व मैं कुछ अन्य विषयों का निर्देश करूंगा जो कि विवाद में उठाये गये हैं। मैं वैदेशिक कार्यों और आर्थिक नीति के सम्बन्ध में, उनके अत्यधिक महत्व के बावजूद भी, अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि जहां तक आर्थिक नीति और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है वे विषय तो लोक-सभा के समक्ष आयेंगे ही और उन पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर भी मिलेगा। परन्तु मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह यह भी याद रखें कि देश में जो कुछ भी हो—इसमें राज्यों के पुनर्गठन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण घटनायें भी सम्मिलित हैं—हमें उसको सर्वथा पृथक् न समझते हुये किसी निश्चित प्रकरण की दृष्टि से देखना चाहिये। उसको देश की या संसार की इन बड़ी घटनाओं के प्रकरण की दृष्टि से देखना चाहिये, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। अन्ततः राज्यों का पुनर्गठन चाहे हम उससे कितने ही प्रसन्न या अप्रसन्न हों, इस वर्ष या अगले वर्ष होना ही है। अन्य चीजें जारी रहती हैं। अन्य चीजें अधिक आवश्यक हैं और उनका हमारे भविष्य पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ेगा। आज यदि हम संसार की ओर देखें तो हमें मालूम होगा कि पृथ्वी के इतिहास के एक विचित्र काल में रह रहे हैं। परिवर्तन का क्रम प्रत्येक पग पर और प्रत्येक देश में चलता रहा है जिसके परिणाम कभी कभी भयंकर भी होते हैं। जिस संसार में हम रहे हैं उसकी यह विशिष्ट पृष्ठभूमि है।

स्वयं हमारे देश में हमारे सामने अनेक समस्यायें हैं—आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य—समस्यायें जिनका निर्देश किया गया है, बेकारी, गरीबी आदि। हम उनको सुलझाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं परन्तु उसमें कुछ समय लगेगा और हमें कठिन परिश्रम करना होगा। इस प्रकार फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आदि का प्रश्न उठता है। परन्तु मैं कहूंगा कि भारत की वैदेशकि नीति, उसके अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों से सम्बन्ध उसके प्रथम और द्वितीय योजनाओं के अन्तर्गत अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयत्नों को देखते हुये हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहियें। यह हो सकता है कि हममें से कुछ अपनी सफलताओं को अत्यधिक पक्षपात की दृष्टि से देखें। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि मैं यह कहूं कि भारत के गत कुछ वर्ष संसार में अत्यन्त सफलताओं की कहानी समझे जाते हैं तो अत्युक्ति नहीं होगी। संसार के प्रत्येक देश से चाहे वे किसी भी महाद्वीप के हों यही आवाज आती है कि भारत ने बहुत सफलता प्राप्त की है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसका निर्णय किसी बाहरी देश की अपेक्षा लोक-सभा के विरोधी दल के सदस्य अधिक

अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वे इन चीजों के बीच में ही रहते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

माननीय आचार्य कृपालानी ने कहा कि हमारी विदेशी नीति इन सैनिक समझौतों को रोकने में सफल नहीं हुई है। यह सर्वथा ठीक है। हमारी वैदेशिक नीति संसार की कई बुराइयों को ठीक करने में सफल नहीं हुई है, ठीक उसी तरह जैसे कि हमारी आन्तरिक नीति देश की कई बुराइयों का सुधार करने में सफल नहीं हुई है। वह सर्वथा ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति उसका दावा नहीं कर सकता प्रश्न यह है कि हमारा लक्ष्य सही है और क्या उस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में हमें अपने अनुभव से कुछ सफलता मिलती दिखाई देती है ? मैं कहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों को जटिल भूल-भुलैया में, जिसमें इतनी कटुता और घृणा, अथवा सशस्त्र संघर्ष तक है, हम कुछ अच्छा प्रभाव डालने में सफल हुये हैं— ऐसा प्रभाव जिससे युद्ध की दिशा में रखे गये कदम को शांति की दिशा की ओर मोड़ दिया गया है। हमारा दावा इतना ही है, अधिक कुछ नहीं। यदि हम उतना थोड़ा सा कार्य भी कर सके हैं तो वह भी कुछ महत्व रखता है। संसार के बड़े बड़े देश भी, जिनके पास अधिक शक्ति है, संसार की समस्याओं को सुलझाने में सफल नहीं हुये हैं। दूसरे देशों की बुराइयों की ओर संकेत करने से समस्या का हल नहीं होता। ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं कि हम अच्छे कार्य करने वाले हैं और अन्य देश गलती कर रहे हैं। इस लिये मैं चाहूंगा कि इसके बावजूद भी कि हम राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में उत्पन्न परिस्थितियों से उत्तेजित हुये और संतप्त हैं, लोक-सभा समस्त संसार के सम्बन्ध में यह देखे कि हमने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं।

मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने—मैं समझता हूं वह श्री यू० एम० त्रिवेदी थे—विभिन्न विदेशी राज्यों के प्रधानों और राजनीतिज्ञों की भारत यात्रा का मजाक बनाया। मैं इस बात का बुरा नहीं मानता कि कोई भी माननीय सदस्य हमारे या हमारी सरकार के सम्बन्ध में क्या कहते हैं। परन्तु मैं नहीं समझता कि उन मान्य अतिथियों के सम्बन्ध में, जो बाहर से हमारे यहां आये थे, ऐसा कहना उचित है।

गत वर्ष हमारे देश में संसार के अनेक राज्यों के प्रधानों, प्रधान मंत्रियों, विदेश मंत्रियों और अन्य मान्य अतिथियों का आना एक असाधारण अनुभव रहा है। वह कोई साधारण बात नहीं है। वे इसलिये नहीं आये थे कि हमने उन्हें निमन्त्रण दिया था। वे अनिवार्यतः इसलिये आये कि भारत की संसार के बड़े राष्ट्रों में गिनती होने लगी है। भारत के मत की गिनती इसलिये होती है कि वह संसार की समस्याओं पर अन्य देशों से भिन्न दृष्टिकोण से विचार करता है। चूंकि भारत का दृष्टिकोण भिन्न है और उसके मत की कीमत की जाती है इसलिये ही गण्यमान्य व्यक्ति हमारे यहां आते हैं और हमारे देश को देखते हैं जिसमें परिवर्तन हो रहा है, उन्नति हो रही है तथा जो संसार की समस्याओं में बड़ा भाग लेने लगा है और जिसके भविष्य में और भी अधिक भाग लेने की आशा है। परन्तु इसका अर्थ यह तनिक भी नहीं है कि हमने सरकार की हैसियत से कोई गलतियां नहीं की हैं, अथवा हम इधर उधर असफल नहीं रहे हैं और भारत में या बाहर ऐसी कोई समस्यायें नहीं हैं जिनका सामना हम न कर सकें हों या जिनमें आकांक्षायें सफलताओं से अधिक न रही हों।

हो सकता है माननीय सदस्यों द्वारा इन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना और उन की आलोचना करना ठीक हो पर आलोचना करने में यदि थोड़ा संतुलन रखा जाय, और उस पूरी बात को ध्यान में रखा जाय तभी उस आलोचना का कुछ महत्व होगा, नहीं तो कुछ पिटे पिटाये अक्सर लगाये जाने वाले नारों का उसी प्रकार कोई भी अर्थ नहीं होगा जिस प्रकार कोई हठी धर्मोन्मत्त व्यक्ति द्वारा बिना समझे बूझे किसी पुराने मंत्र का उच्चारण करने का कोई अर्थ नहीं होता। हमारी सरकार कभी भी यह दावा नहीं करती कि उसे हर बात में सफलता ही मिलती या वह कभी कोई गलती नहीं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

करती । बहुधा वह गलती करती है । पर मैं इस बात का दावा करता हूं कि हम भरसक कोशिश करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सफलताओं और असफलताओं के आधार पर ही हमारे बारे में निर्णय किया जाय । हमारी असफलताओं को हमारे सामने जरूर रखा जाना चाहिये पर जब कुछ माननीय सदस्य ऐसी आलोचना करते हैं जिनका तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता या उन अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं होता जिनका जिक्र मैंने अभी सभा के सामने किया है तो उस आलोचना का कोई महत्व नहीं होता ।

श्री मुकर्जी ने अपने भाषण के प्रवाह में बहुत सी ऐसी बातें कहीं हैं जो वह वास्तव में नहीं कहना चाहते थे । विरोधी दलों के कुछ माननीय सदस्य जिन्होंने राज्य पुनर्गठन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में हमारी कटु आलोचना की है, मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आये थे और उस समय उन्होंने एक दूसरे प्रकार से बात की थी अर्थात् उन्होंने परिस्थिति की कठिनाइयों को स्वीकार किया था और बातचीत करते समय सर के बल खड़े होना आदि बेढंगे आक्रमण नहीं किये थे । राष्ट्रपति के अभिभाषण में मलाया या गोल्ड कोस्ट का निर्देश करना श्री मुकर्जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पूछा है केन्या में क्या हो रहा है ? मैं बताना चाहता हूं कि गोल्ड कोस्ट में जो कुछ हो रहा है वह अफ़्रीका की वर्तमान स्थिति में बहुत ही आशाजनक बात है । गोल्ड कोस्ट में जो कुछ हो रहा है वह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका स्वरूप आप या हम अपने दिमाग से सोच कर निश्चित कर सकें या यह कह सकें कि यह बात ठीक है । आज दुनियां उस तरह नहीं चल रही हैं । अफ़्रीका के प्रसंग में मैं यह कहता हूं कि गोल्ड कोस्ट में जो कुछ हो रहा है उससे केवल गोल्ड कोस्ट को ही आशा नहीं है बल्कि सारे अफ़्रीका को आशा है । अन्त में क्या होगा मैं नहीं जानता पर इस मनोविक्षिप्त और कष्टकर संसार में जब कोई एक अच्छा कदम उठाया जाय तो हमें इन बातों का स्वागत करना चाहिये ।

मलाया में क्या होने जा रहा है यह हमें नहीं मालूम है क्योंकि हमारे पास सब ब्यौरे नहीं हैं पर फिर भी आशा की एक किरण दिखाई पड़ती है जोकि इस उलझन को हल करने की ओर ले जा रही है ।

गोआ के बारे में मैं जो कुछ पहले कह चुका हूं उससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता । गोआ के बारे में मोटे तौर पर किसी माननीय सदस्य तथा सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है । थोड़ा बहुत मतभेद अगर है तो वह इस सम्बन्ध में है कि गोआ के बारे में किस तरह की कार्यवाही की जाय । स्पष्ट है कि गोआ के बारे में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मामले की बारे में अपनाई गई नीति को किसी स्थानीय झगड़े के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं से देखा जाना चाहिये । एक माननीय सदस्य, मैं समझता हूं श्री श्यामनन्दन सहाय, ने इस बारे में कहा था कि हमारा अहिंसा सिद्धांत का प्रयोग विदेशी मामलों में और कम से कम हमारी सीमा समस्याओं के बारे में सफल नहीं रहा है । मुझे इस बात का पता नहीं है कि हमारी सरकार ने कभी भी यह कहा हो कि हम अपनी कार्यवाहियों में अहिंसा सिद्धांत का प्रयोग करते हैं । सरकार इस सिद्धांत का आदर और सम्मान कर सकती है पर यह स्पष्ट है कि सरकार के रूप में हम अहिंसा सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते और न अपने को स्वीकार करने में समर्थ पाते हैं । यदि हम अहिंसा सिद्धांत को मानते तो हम सेना, नौसेना, और विमान बल न रखते । पर, यह एक दूसरी बात है कि आज की परिस्थिति में हम इस सिद्धांत को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हैं पर साथ ही इसका अर्थ यह नहीं है कि हम, इसके बिल्कुल विरुद्ध, हाथ में तलवार, लाठी या अन्य हथियार लेकर प्रत्येक व्यक्ति को धमकी देते फिरें और जोरदार भाषण देते फिरें । वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर भी यह सब करना बेवकूफी ही नहीं है बल्कि ध्यान रखिये कि जब आप हिंसा की बात करते हैं तो हिंसा तभी उपयोगी है जब वह उच्चकोटि की हो । निम्नकोटि की हिंसा का सहारा लेना स्वयं अपने को बेवकूफ बनाना है । आज हिंसा की परीक्षा महान विस्फोटक चीजों अर्थात् उद्जन बम और अणुबम को ध्यान में रखकर की जाती है । मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक देश के पास यह चीजें हैं पर आज कल हिंसा की आखिरी हद यही है । आज दुनिया में हिंसा इस अवस्था पर पहुंच

गयी है कि या तो वह दुनिया को बरबाद करके खत्म कर देगी या, कम से कम, लोगों के दिमाग से हिंसा युग की बात को नष्ट करके खुद अपने को खत्म कर लेगी। हम लोग हिंसा युग की अन्तिम सीढ़ी पर हैं। या तो हम अंधेरे गड्ढे में गिर जावेंगे या हम अपने को बचा लेंगे और देखेंगे जोकि संसार की कठिनाइयों की दवा हिंसा नहीं रह गयी है। यह है विस्तृत स्वरूप। इसका अहिंसा सिद्धांत से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह आज की परिस्थिति का विस्तृत व्यावहारिक परिज्ञान है। जब उन राज्यों के प्रधान जिनके पास हिंसा के बहुत बड़े हथियार हैं और हिंसा या अहिंसा से जिनके मार्ग में कोई रूकावट नहीं पड़ सकती, इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि नये हथियारों से लड़े जाने वाले आधुनिक युद्धों को बन्द किया जाना चाहिये तो हमें समझ लेना चाहिये कि दुनियां में कुछ नई बात पैदा हो गई है। हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति इस के तात्पर्य को पूर्ण प्रकार न समझता हो पर कुछ न कुछ बात अवश्य हुई है कि लोगों को यह विश्वास हो गया है कि अनिवार्य रूप से और बुनियादी रूप से हिंसा को बन्द कर दिया जाय क्योंकि संसार की समस्याओं का यह हल नहीं है। हो सकता है पूर्ण प्रकार इसके बन्द होने के पूर्व कई प्रकार के विस्फोट हों, तरह तरह की बातें पैदा हों। यह एक दूसरी बात है।

यदि प्रकांड हिंसा का मतलब यह है, तो छोटी हिंसा को आप को उसी प्रसंग में देखना पड़ेगा और विशेष कर जब कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो क्योंकि आप प्रकांड हिंसा से टक्कर लेते हैं और इस बात को हम बिल्कुल अलग और इस रूप में नहीं समझ सकते कि जब हम चाहें तो हम इसमें भाग लें।

मैं चाहता हूं कि सभा इस बात पर ध्यान दे कि मैं अपने तर्कों को किसी उच्च नैतिक आधार पर नहीं पेश कर रहा हूं। यद्यपि मैं इस बात को उस आधार पर भी पेश करूं तो भी वह ठीक ही होगा। ऐसा करना हमारे लिये उचित नहीं होगा कि हम दुनिया को दूसरी बात बतायें और खुद एक दूसरी बात करें : हम दुनिया के विवादों को तय करने के लिये शांतिपूर्ण समझौते की नीति का सुझाव दें और अपने विवादों को स्वयं हिंसा, सैनिक शक्ति और सैनिक साधनों से तय करें। यह बात हमारे कथन के अनुकूल नहीं है हम इस बात या उस बात में सफल नहीं होते; हम दो विपत्तियों के बीच में पड़ जाते हैं। अतः यह है विस्तृत भूमिका।

अब मैं श्रीलंका के बारे में एक दो बातें कहता हूं। एक माननीय सदस्य ने श्रीलंका, बर्मा तथा अन्य स्थानों का जिक्र किया है और बताया है कि वहां से भारतीयों को ठोकर मार कर निकाला जा रहा है। उनका कहना अंशतः ठीक है पर पूरी तरह से नहीं। जब उन्होंने बर्मा तथा अन्य स्थानों की बात कही, तो मेरे विचार में वह सही नहीं बोले। पर यह बात सच है कि श्रीलंका में भारतीय उद्भव के लोगों तथा अन्य भारतीयों के साथ जो वहां गये हैं न्याय नहीं हो रहा है।

इस बात को बताने के सिवाय मैं इस प्रश्न की विवेचना नहीं करना चाहता। हम श्रीलंका के साथ समस्याओं का कैसे निबटारा करें। निश्चय ही, श्रीलंका के साथ इन समस्याओं को निबटाने का ढंग दोस्ताना ही है और हम उसी ढंग का अनुसरण करते रहेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माननीय सदस्य मुझे बतायें कि क्या एक जोरदार भाषण देने के अलावा उनके पास कोई और भी उपाय है, पर वह उपाय अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने के लिये कोई ठीक उपाय नहीं है। उदाहरण के लिये, जब मेरे मित्र वित्तमंत्री विदेश मे किसी प्रकार का कारबार करते हैं तो उन्हें विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में चिन्ता होती है क्योंकि वह अपनी मुद्रा में भुगतान नहीं कर सकते हैं; उन्हें किसी अन्य देश की मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है इसके लिये उनको उस कारबार के लिये अन्य किसी देश की मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है।

मैं लोक-सभा को बताऊंगा कि श्रीलंका के सम्बन्ध में हमारी ओर से जरा कुछ और कार्यवाही हुई है। लगभग दो वर्ष हुये श्रीलंका के प्रधान मंत्री तथा हमारी सरकार के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें वहां की इस समस्या के हल में सहायता करने के लिये की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कुछ प्रक्रियाओं का जिक्र था।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उसके थोड़े समय बाद ही दोनों सरकारों के बीच उस दस्तावेज की व्याख्या के सम्बन्ध में मतभेद पैदा हो गया। दोनों तरफ से लम्बे लम्बे पत्र लिखे गये और दो या तीन हफ्ते पूर्व मैंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री को एक लम्बा पत्र लिखा। उस पत्र में अन्य बातों के अलावा मैंने श्रीलंका के प्रधान मंत्री को यह सुझाव दिया है कि 'यदि उस दस्तावेज की व्याख्या के बारे में हमारे बीच कोई मतभेद है तो मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से यह बात प्रसन्नता से स्वीकार करूंगा कि इस दस्तावेज को व्याख्या के लिये किसी ऐसे प्रसिद्ध और ख्यातिप्राप्त व्यक्ति के पास भेज दिया जाय जिसके लिये आप और हम दोनों सहमत हों; वह जो कुछ भी व्याख्या करेगा मैं उसे मान लूंगा; हमें व्याख्या के विवाद को समाप्त करने के लिये कोई उपाय ढूंढना चाहिये।' मैं उस व्याख्या को स्वीकार कर लूंगा। व्याख्या करने वाले व्यक्ति का चुनाव मैं और वह अर्थात् दोनों सरकारें करें। वह चाहे विदेशी हो या चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो इससे कोई मतलब नहीं; वह चाहे कोई हो ; चाहे वह परिपक्व उच्च न्यायिक पदाधिकारी हो या न हो; इससे कोई मतलब नहीं। तीन पृष्ठों का दस्तावेज है, उसे व्याख्या करने दीजिये और हम उसकी व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे।

हमें अभी उस पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला है। हमें उस पथ की प्राप्ति की सूचना मिल गयी है पर उत्तर नहीं मिला है : इसी बीच में, जैसा कि आप जानते हैं, श्रीलंका में सामान्य चुनाव होने वाले हैं। अतः शायद उस कारण किसी नयी बात के होने में कुछ विलम्ब लगे।

अभी अभी मैंने विश्व के इस महान, करुण और दुखद नाटक का जिक्र किया। यह जो कुछ हो रहा है या एक उत्तेजक नाटक है। लोग केवल अखबारों में मुख्य मुख्य शीर्षक ही देखते हैं पर उनके पीछे विभिन्न देशों में हमारे देश में या अन्य किसी भी देश में तरह तरह की बातें हो रही हैं।

अभी हाल में ही माननीय सदस्यों ने मास्को में होने वाले (कम्युनिस्ट कांग्रेस) साम्यवादी सम्मेलन की कार्यवाही के बारे में पढ़ा होगा जिससे यह पता लगता है कि उनके दृष्टिकोण तथा रवैये में काफी परिवर्तनों की घोषणा की गयी है। इन परिवर्तनों के महत्व की व्याख्या करना मेरा काम नहीं। पर यह मैं अवश्य समझता हूं कि यह मामला केवल रूस के लिये ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि अन्य देशों के लिये भी यह आवश्यक है कि वह वहां होने वाले उन परिवर्तनों को समझें जिनसे रूस धीरे-धीरे सामान्य स्थिति पर आ रहा है और इसका हर प्रकार से स्वागत होगा।

ध्यान देने की बात है कि महान क्रांतिकारी देश भी जो दुखद अनुभवों से होकर गुजर चुके हैं और जो प्रयत्न तथा उत्तेजना की चोटी पर रह चुके हैं, सामान्य स्थिति पर आ रहे हैं अपनी नीतियों को बदल रहे हैं तथा अपने दृष्टिकोणों को बदल रहे हैं। काश इस सम्बन्ध में अन्य लोग भी जो कभी कभी उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनका अनुकरण करते !

अब मैं संक्षेप में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करता हूं जिसकी चर्चा यहां पिछले ४ दिनों से हो रही है और जिसने लोगों को बहुत कष्ट दिया है। मुझे इससे बहुत दुःख हुआ है और मुझमें असफलता की एक भावना पैदा हो गयी है। मैं उन बातों से ज्यादा चिन्तित नहीं हूं कि वास्तव में क्या हुआ हालांकि वह बुरी तो है ही, बल्कि इस बात से दुखी हूं कि सारे देश में या देश के बहुत से भागों में हिंसा की भावना फैल गयी है और वह हिंसा के द्वारा समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। यह बात हमारे देश के लिये बहुत बुरी है चाहे इसका कारण कुछ भी हो या कैसा भी रहा हो, क्योंकि जब आप किसी समस्या को हिंसात्मक ढंग से तय करना चाहते हैं तो आप एक ऐसी खतरनाक अवस्था में पहुंच जाते हैं जो गृह युद्ध के समान है।

सरकार की सभी गलतियों और असफलताओं के होते हुये भी हमारे देश ने एक स्थायित्व, एक शान्ति और कुछ हद तक उन्नति कर दिखायी है; हो सकता है यह उन्नति उतनी न हो जितनी आप चाहते हैं। उस उन्नति के कारण हमारे देश ने एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है जिसके लिये हमें अभिमान है। यह सब

कुछ मूल विशेषताओं पर आधारित है । यदि हम केवल इसलिये कि हम अमुक बात नापसंद करते हैं । हिंसात्मक विष्फोट का सहारा लेते हैं तो हम केवल अपनी प्रतिष्ठा को ही नहीं खो देंगे बल्कि उससे अधिक महत्वपूर्ण चीज भी खो देंगे ।

क्या हम हिंसात्मक कार्यवाही का सहारा लेने जा रहे हैं और अपने देश को उसी प्रकार का देश बनाने जा रहे हैं जहां हर महीने या दूसरे महीने सरकार को उलटने के लिये किसी न किसी हिंसात्मक क्रांति की बात सुनाई पड़े । यह लोकतंत्र नहीं हैं बल्कि लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है । पर उसके अलावा—— हमें इस समय लोकतंत्र की प्रविधिक परिभाषा नहीं लागू करना है——मैं यह कहना चाहता हूं कि वह स्थिति ऐसी है जिसमें किसी प्रकार की व्यवस्थित उन्नति नहीं हो सकती । मैं इस रवैये को समझ सकता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि कुछ लोगों का दृष्टिकोण यही है कि इस प्रकार की धीमी लोकतंत्रात्मक या संसदीय प्रणालियों से कुछ भी नहीं होगा, शांतिपूर्ण ढंग से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, धीरे-धीरे करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता । हमें सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके फिर से एक नई दुनिया बसानी चाहिये, चाहे प्रारम्भ में अराजकता की अवस्था ही पैदा क्यों न हो । पर मैं इस तरह के रवैये से सहमत नहीं हूं । मैं इसे समझ सकता हूं पर इससे नई बातें पैदा होती हैं । विद्यार्थियों, तथा कर्मकरों सभी में विद्रोह जैसी भावना पैदा की जाती है । अभी भी ६, ७ या ८ वर्ष के बच्चों को इस तरह के काम पर लगा दिया जाता है । मैं समझता हूं कि लोक-सभा को इस तरह के मामले पर ध्यान देना चाहिये तथा सोचना चाहिये कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को एक तरफ रख कर यह बातें हमें किधर को ओर ले जा रही हैं ।

बड़े-बड़े नगरों में तथा दूसरी जगहों पर समाज विरोधी लोग तथा गुण्डे आदि होते हैं । इन गुण्डों का सामना तभी किया जा सकता है जब समाज इनका विरोध करे । परन्तु जब समाज अथवा समाज का कोई नामी ग्रामी भाग, इन गुण्डों की हिंसा के साथ मिल जाता है तथा इनके कार्यों का समर्थन करता है तब इनको मनचाहा अवसर मिल जाता है । आज हमारे देश में क्या हो रहा है ? कोई वर्ग, किसी मामले के बारे में मतभेद रखता है और वह कहते हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे और जलूस निकालेंगे । दुकानदार यदि अपनी दुकानें बन्द न करें तो उन्हें ऐसा करने के लिये बाध्य किया जाता है । यदि ट्राम अथवा बस चलती है तो उसमें आग लगा दी जाती है । यदि आदेश दिया जाता है कि जलूस मत निकालिये तो यह आदेश तोड़कर जलूस निकाला जाता है और इसके परिणामस्वरूप पुलिस को गोली चलानी पड़ती है जिससे कुछ व्यक्ति मर जाते हैं अथवा घायल हो जाते हैं । इस पर पुलिस के विरुद्ध आवाज उठायी जाती है और जांच की मांग की जाती है । इस प्रकार एक के बाद दूसरी घटना होती है । मैं किसी विशेष नगर के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं । सभी स्थानों पर इस प्रकार की घटनायें होती हैं कि हिंसात्मक रूप से, लूटमार, जनता पर हमले, बसों, ट्रामों आदि को जलाना, धारा १४४ का उल्लंघन आदि कार्य किये जाते हैं जिससे पुलिस को गोली चलानी पड़ी है और कभी-कभी निर्दोश व्यक्ति और बच्चे भी मारे जाते हैं जिसके आधार पर सरकार की निन्दा की जाती है । बताया जाता है कि पुलिस ने नाजायज कार्यवाही की है तथा इस सम्बन्ध में फिर जांच कराने की मांग की जाती है ।

पुलिस या सेना के काम करने में जायज सीमायें क्या हैं ? यह कहना कुछ कठिन है । स्पष्ट है कि यह बढ़ भी सकती हैं जहां किसी छोटे मोटे मामले का निपटारा करना हो वहां सीमा की बात समझ में आ सकती है । परन्तु कलकत्ता, बम्बई, और मद्रास जैसे बड़े-बड़े नगरों में गड़बड़ की स्थिति में इस बात का निर्णय करना कठिन है । या तो आपको इस अराजकता का शिकार होना पड़ेगा या आपको इस पर काबू पाना होगा । यदि गुण्डों का जोर रहा तो नगर उनके हाथों में चला जाता है । ऐसी परिस्थितियों में अच्छे इरादों वाले व्यक्ति भीड़ से बाहर धकेल दिये जाते हैं और गुण्डे आगे बढ़ कर

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

गुण्डागर्दी करने लगते हैं । इस प्रकार अच्छे इरादों वाले व्यक्ति ही गुण्डों को गुण्डागर्दी करने का अवसर देते हैं । हुल्ड़बाजी पेश करते रहते हैं और इनके साथ वह राजनीतिक कार्यकर्ता भी जो कि इस तरह की बातों में विश्वास रखते हैं । सरकार को या तो गुण्डागर्दी के सामने सिर झुकाना पड़ता है या इसे रोकने के लिये सभी तरह की कार्यवाही करनी पड़ती है । निसन्देह सरकार को इसे रोकने की हर तरह की कार्यवाही करनी पड़ती है । कोई भी सरकार इसे सहन नहीं कर सकती है ।

मेरा विचार है कि प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी ने मेरे अमृतसर के एक भाषण की ओर निर्देश किया है, जिसमें मैंने कुछ ऐसा कहा था कि गलियों में दी गई चुनौती का जवाब गलियों ही में दिया जायेगा । मैं यही कहना चाहता था कि गलियों में की गई हिंसात्मक कार्यवाहियों को गलियों में ही रोका जायेगा । मैं नहीं समझ सका कि प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी को, मेरे इस वक्तव्य पर क्या आपत्ति है । (**अन्तर्बाधा**)

इस सम्बन्ध में मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि मैंने अकाली जलूस को 'तमाशा' कभी नहीं कहा । उन्होंने इस ओर निर्देश किया है कि मैंने अकाली जलूस को तमाशा कहा है । यह सच नहीं है । मुझे याद है, मैंने यह कहा था कि यह गम्भीर विषय है तथा इन पर बड़े तमाशों और लम्बे भाषणों से निर्णय नहीं किया जा सकता इन पर बड़ा सोच विचार होना चाहिये । मैंने यह कहा था कि प्रदर्शन, तमाशा मनोवृत्ति न रख कर हमें आलोचक की मनोवृत्ति से समस्या पर विचार करना चाहिये । क्योंकि नारे लगाना आदि से समस्यायों पर विचार नहीं किया जाता है ।

इसलिये, मेरा लोक-सभा से यह निवेदन है कि वह यह सर्वदा याद रखे कि भारत की वर्तमान आन्तरिक समस्या यही है कि बढ़ती हुई हिंसात्मक मनोवृत्ति को किस प्रकार रोका जाय । मुझे गुण्डों की हिंसा से कोई भय नहीं है परन्तु मैं हिंसात्मक मनोवृत्ति से डरता हूं । एक या दो दिन हुए लखनऊ में नरेन्द्र देव की शव यात्रा के अवसर पर पुलिस के एक सिपाही को अंधा कर दिया गया था अन्य व्यक्ति घायल हो गये । ये क्यों हुआ ? यह एक शव यात्रा थी गम्भीरता तथा शांति का एक अवसर था तब पत्थर क्यों फेंके गये जिससे एक पुलिस के सिपाही की आंख जाती रही । मैं यह नहीं समझ सका ।

अन्य स्थानों पर भी क्या हो रहा है ? हम भारत के विभक्त व्यक्तित्व के सम्बन्ध में बातें करते हैं, अहिंसा तथा अन्य इसी प्रकार के तरीकों, अपनी सभ्यता तथा संस्कृति की हम बड़ी प्रशंसा करते हैं परन्तु अपने प्रति दिन के व्यवहार में असभ्यों जैसा व्यवहार करते हैं ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर): क्या यह मुख्य मंत्रियों पर भी लागू है जो अहिंसा का उपदेश देते हैं और करते हिंसा हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह श्री मोरे तथा मेरे समेत सभी पर लागू है । इस सम्बन्ध में हमारा विभक्त व्यक्तित्व है । परन्तु मैं लोक सभा के सम्मुख यह प्रस्तुत कर देना चाहता हूं कि असहमतियों, विरोधों का निबटारा करने में हिंसात्मक प्रदर्शनों अथवा ऐसे प्रदर्शनों, जो हिंसात्मक कार्यवाहियों में परिवर्तित हो जायें, का सहारा लेना, बड़ा खतरनाक है । परन्तु ऐसा हो रहा है । मैं नहीं जानता कि क्या होगा । कुछ दिन पूर्व मद्रास में एक संस्था जिसका उद्देश्य तामिलनाड को स्वतंत्र राज्य बनाकर भारत को छिन्न भिन्न करना है, ने हड़ताल तथा प्रदर्शन कराये । उन्होंने नारे लगाये और गड़बड़ी हुई । मेरा विचार है कि कलकत्ते में भी इसी प्रकार की हड़ताल संगठित की जा रही है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : २१ जनवरी को यह कितनी शांतिपूर्ण थी ? इसके सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया, २१ जनवरी को शांतिपूर्ण हड़ताल के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया जबकि हिंसा के सम्बन्ध में आप बता रहे हैं । (**अन्तर्बाधा**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा तापर्य यह नहीं है कि जनता सदैव बुरा व्यवहार ही करती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या आपने बुरा व्यवहार करने के कारण जानने का प्रयत्न किया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को यह स्पष्ट है क्योंकि वह कलकत्ते की हड़ताल के सम्बन्ध में अधिक जानकारी रखती हैं तथा जानती हैं कि वहां कल को क्या होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विलय इसके लिये जिम्मेदार है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ भी हो एक घोषणा की गई है .....

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : जब अमृतसर में गृह मंत्री यह कह सकते हैं कि विलीनीकरण अवश्य होगा तो क्या आपको हड़ताल और प्रदर्शनों पर आपत्ति हो सकती है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : विलीनीकरण पर मैं कुछ देर बाद कहूंगा परन्तु इन शांतिपूर्ण हड़ताल कराने वालों ने, जैसा समाचारपत्रों से ज्ञात हुआ है, यह कहा है कि वह धारा १४४ का उल्लंघन करेंगे इसलिये मैं इसे शांतिपूर्ण नहीं कहता । यह सच है कि संसद को इस प्रश्न पर विचार करना है परन्तु क्या हमें हिंसात्मक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिये और इस प्रकार की हड़तालों तथा आन्दोलनों को होने देना चाहिये ।

†**श्री वी० जे० देशपांडे** : क्या हम पुलिस को गोली चलाने दे सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं विरोधी दलों के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि वह मुझे एक भी ऐसा उदाहरण दें जहां साम्यवादी अथवा पूंजीवादी देश में इस तरह की बातें होने दी जाती हैं । मुझे ऐसे किसी देश का ज्ञान नहीं ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इंगलैंड में कोई धारा १४४ नहीं है ।

†**श्री ए० के० गोपालन** : क्या प्रधान मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री बियाणी ने अकोला में एक भाषण देते हुए यह कहा है कि गुण्डों का सामना गुण्डों से कराया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मंत्री समेत, यदि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का भाषण दिया है तो उसने बड़ी मूर्खतापूर्ण तथा आपत्तिजनक बात कही है ।

†**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पुर्निया) : यह सब इस कारण से होता है कि कांग्रेसी जन यह समझते हैं कि आप यह सब विरोधी प्रश्न के लिये कह रहे हैं जबकि आप कांग्रेसियों को भी यह बताते होते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य पूर्णतः ठीक कहते हैं । मैं किसी वर्ग के सम्बन्ध में नहीं कह रहा था यद्यपि यह सच है कि कुछ वर्ग सैद्धांतिक रूप से भी हिंसा का विरोध नहीं करते तथा कार्यरूप में परिणत करने में वह और भी कम इसका विरोध करते हैं । सच तो यह है कि उनका विचार है कि उनका उद्देश्य हिंसा से ही पूर्ण हो सकता है ।

†**आचार्य कृपालानी** : उनको इसका उत्तर दिया जाता है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब आचार्य कृपालानी उठे हैं तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मुझे यह ज्ञानकर दुःख तथा आश्चर्य हुआ था कि उनके पीछे खुफ़िया पुलिस के कर्मचारी लगे रहते हैं । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि यदि वे कुछ अधिक जानकारी दे सकेंगे तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं लोक-सभा को यही बताना चाहता हूं कि देश में बड़ी खतरनाक मनोवृत्ति का विकास हो रहा है। मैं इससे घबराता नहीं हूं परन्तु यह जो कुछ भी हो रहा है उससे जनता में दो प्रकार से जहर फैल रहा है। एक तो हिंसा की भावना है तथा दूसरे पारस्परिक सम्बन्धों को विषैला बनाता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भावना अवश्य समाप्त हो जायेगी परन्तु हमको इसे बढ़ाना नहीं चाहिये। इसलिये मेरा फिर नम्र निवेदन है कि जो कार्य कुछ परिस्थितियों में उचित हो सकते हैं वह दूसरे प्रकार की परिस्थितियों में आपत्तिजनक तथा खतरनाक भी हो सकते हैं। एक हड़ताल कुछ परिस्थितियों में अपनी सम्मति प्रकट करने के लिये उचित भी हो सकती है वह दूसरी परिस्थितियों में खतरनाक भी हो सकती है तथा मेरा विचार है कि वर्तमान काल में, जब भारत के विभिन्न भागों में बहुत तनाव तथा कटुता हो गई है, यह देशभक्ति, बुद्धिमानी तथा उचित नहीं है कि हम ऐसा कोई कार्य करें, चाहे वह सरकार की गलती के कारण क्यों न हो, जिससे हिंसात्मक भावना फैले।

मैं राज्य पुनर्गठन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। दो मास से कुछ कम समय हुआ हमने इस मामले की चर्चा लोक-सभा में की थी। उस समय पूर्णतः वाद-विवाद हुआ था तथा इस सम्बन्ध में मैंने अपने विचार भी प्रकट किये थे। मैं उनको दोहराता हूं। यह सच है कि मैं देश के विभिन्न भागों में हुए आन्दोलनों को ध्यानपूर्वक देखता रहा हूं। मुझे इन कार्यों का इतना खेद नहीं जितना इस प्रकार के वातावरण का है। यह कार्य अचानक नहीं किये गये हैं। हमारे दिलों में कुछ था जो कि परिस्थितियों के अनुकूल होने पर प्रकट हो गया। तथा मेरे सामने अब यही समस्या है कि इस हिंसात्मक चुनौती का, जो फैल रही है किस प्रकार सामना किया जाये। हमें किसी प्रकार भी इसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। मुझे तो इसका यही हल सुझाई दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े तीखे शब्दों में यह आलोचना की कि कांग्रेस समिति के चार सदस्य बड़े निरंकुश रूप से बातें निर्धारित करते हैं। पिछली बार भी मैंने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि समस्या वास्तव में सरकार तथा किसी दल अथवा राज्य के बीच की नहीं है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इसमें सन्देह नहीं कि उनके बारे में उसके अपने विचार थे, किन्तु उसके लिये इस चीज का कोई महत्व नहीं था कि कौन सी सीमा किधर हो। सरकार, और हम में से अधिकतर लोग, यही चाहते थे कि ऐसा हल निकले जो अधिक से अधिक लोगों को स्वीकार्य हो।

मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण देता हूं। कल श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा कि "मेरे मुख्य मंत्री ५०० वर्ग मील दे रहे हैं"। मैं पूछता हूं कि यह बात क्या चीज प्रदर्शित करती है। ५०० वर्ग मील दे देने से उनका क्या तात्पर्य है? यह वह किसे दिये दे रहे हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं और डा० राय ने उदारतापूर्वक उसे मान लिया। इस मसले पर पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में मतभेद था—भारत सरकार अथवा कांग्रेस के साथ कोई मतभेद नहीं था। यह कभी दलगत मामला नहीं रहा है। इस मामले पर एक ही दल में दो राये रही हैं। सम्भवतः साम्यवादी दल में दो राय न हों, किन्तु उन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि न केवल भाषायी विभाजन होना चाहिये अपितु प्रत्येक गांव का भाषायी विभाजन होना चाहिये।

†**एक माननीय सदस्य** : प्रत्येक गांव का नहीं। गांव प्रति गांव का।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ठीक है। वे अस्तव्यस्तता को अपनी चरम सीमा तक ले जाना चाहते हैं, इस भाषायी युद्ध को वे प्रत्येक गांव तक ले जाना चाहते हैं।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिणी-पूर्व) : नहीं, यह बात सही नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे विरोधी दल के माननीय सदस्यों के उद्देश्य के प्रति शंका नहीं है। मैं केवल यह बतला रहा हूं कि जो वे कहते हैं उसका स्वाभाविक परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम

†मूल अंग्रेजी में

यह होगा कि भारत के प्रत्येक गांव में अस्तव्यस्तता आ जायेगी। मुझे उनकी बुद्धि के सम्बन्ध में सन्देह नहीं है और इसलिये मैं समझता हूं कि वे इस बात को अवश्य महसूस करेंगे कि इस नीति का स्वाभाविक परिणाम क्या होगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आप सीमा-विवाद की चर्चा कर रहे हैं। हमने जो कहा है आप उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। अन्य मसलों पर कोई विवाद नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे मालूम है। बिहार और बंगाल के इस मसले को लीजिये। एक ही हिस्से पर उन दोनों का दावा है। यह भारत सरकार का झगड़ा नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, पश्चिमी बंगाल की कांग्रेस की एक राय है। और बिहार की कांग्रेस की दूसरी राय। शायद अन्य दलों के साथ भी यही बात है। इसमें प्रांतीयवादिता या राज्यवादिता का पुट अधिक हैं। राज्यवादिता में कोई बुरी बात नहीं है, किन्तु जब राज्यवादिता से उत्तेजित और हिंसक भाषण तथा कार्यवाहियों का सृजन हो और इस प्रकार के उत्तेजनापूर्ण प्रदर्शन हों, तो यह अत्यन्त हानिकारक हैं।

उड़ीसा का मामला लीजिये। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा उड़ीसा में कोई परिवर्त्तन नहीं किया गया है। उड़ीसा का पश्चिमी बंगाल, बिहार, आंध्र तथा मध्य प्रदेश के भागों पर दावा था। आयोग के प्रतिवेदन में इन दावों को स्वीकार नहीं किया गया और न ही सरकार आयोग की सिफारिशों से परे जाना चाहती थी। मैं इस मामले के गुणावगुणों में नहीं जाता। उड़ीसा सरकार ने इन दावों का समर्थन किया—वहां की कांग्रेस ने भी और सरकार ने भी। फिर उड़ीसा में उपद्रव हुए। किसके विरुद्ध ? स्वयं अपनी सरकार के विरुद्ध जो उन दावों का समर्थन करती थी। इसमें कोई तर्कयुक्तता नहीं थी। उपद्रवी लोग पुलिस थाने में घुस गये और चीजों को तोड़ फोड़ डाला। दस से वीस वर्ष तक के बच्चों—लड़के, लड़कियों— द्वारा क्या-क्या किया गया ? इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि ये चीजें निन्दनीय है।

एक और मामला लीजिये। मद्रास तथा केरल राज्यों में सीमावर्ती एक छोटे से क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ झगड़ा है। इस सुझाव को समझा जा सकता है कि उस क्षेत्र के लोगों द्वारा ही यह निर्णय किया जाय कि वे किस राज्य में मिलना चाहते हैं। किन्तु प्रश्न यह नहीं है। हर कोई दबाव डालना चाहता है। मद्रास सें कुछ लोग हिंसक कार्यवाहियों द्वारा, मद्रास से पांच सौ मील दूर स्थित एक छोटे से क्षेत्र को मद्रास राज्य में मिलाने के लिये दबाव डाल रहे हैं। इस मामले के भी गुणावगुणों पर मैं नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि इस सब का क्या परिणाम हो रहा है। चाहे ये बंगाल और बिहार हो अथवा केरल और मद्रास हों अथवा मद्रास और आंध्र हों एक ही क्षेत्र पर दावा करने से धीरे-धीरे एक ऐसी चीज पैदा हो जाती है जो गृह-युद्ध की ओर ले जाती है। वास्तविक रूप से देखा जाय तो बंगाल और बिहार या बिहार और उड़ीसा के मध्य एक मानसिक गृह-युद्ध चल रहा है।

मैं लोक-सभा को विश्वास दिलाता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन सें जो समस्यायें सामने आई हैं—उनमें से कुछ समस्यायें बहुत बड़ी और कठिन थीं—उनमें से अधिकतर संतोषजनक रूप से हल हो गई हैं। ये समस्यायें समझौते से तय हुई हैं, यद्यपि एक दल के लोग वह समझौते कतई नहीं चाहते थे। मैं उदाहरण दे सकता हूं। प्रस्तावित नए मध्य प्रदेश को लीजिये। मध्य भारत इसके विरुद्ध लड़ा। उसके लिये यह बिलकुल न्यायोचित था। अंततोगत्वा देश के हित में सब मिले और एक समझौते पर पहुंचे और साथ-साथ काम कर रहे हैं।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : जहां तक हमारी सूचना है, मध्य भारत विधान सभा का बहुमत सहमत नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि वहां कोई दुर्घटनायें नहीं हुईं, इसलिये आप कहते हैं कि वे सहमत हो गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : स्थिति यह है कि यद्यपि उसका एक दृढ़ दृष्टिकोण था, और विधान-सभा ने 'ना' कहा, तो भी देश के हितों में वे सहमत हो गये। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वे सहमत हो गये हैं क्योंकि वे विलय के प्रश्नों को साथ-साथ मिल कर सुलझा रहे हैं और तय कर रहे हैं। इसके लिये वे गलियों में जाकर लड़े नहीं हैं।

विदर्भ को लीजिये। वे लोग एक पृथक् राज्य के इच्छुक रहे हैं। किन्तु हमारी प्रार्थना पर वे महाराष्ट्र राज्य में मिलने को तैयार हो गये। ये ऐसे उदाहरण हैं जब कि लोगों ने संकुचित मनोवृत्ति का शिकार न बन कर एक बड़ी तसवीर की ओर देखा और अंततोगत्वा किसी चीज़ पर सहमत हो गये। यद्यपि मूलतः वे इसे पसन्द नहीं करते थे। इसलिये इस सदन से मैं यह बात ध्यान में रखने को कहूंगा कि अनेक कठिन समस्यायें सहमति द्वारा तय हो गयी हैं। हमारा बराबर यही दृष्टिकोण रहा है कि सब चीजें समझौते द्वारा तय हों। इन समझौतों के सिलसिले में हम दर्जनों और सैकड़ों नहीं अपितु एक हजार के अधिक लोगों से मिल चुके हैं—न केवल कांग्रेस के वरन् विरोधी तथा अन्य दलों के लोगों से। हम उनसे मिले क्योंकि, जैसा मैंने कहा, यह कोई दलगत मामला नहीं था। यह एक ऐसा मामला था जिस पर हम मोटे रूप में सबका समझौता चाहते थे।

†**श्री एम० एस० मोरे** : क्या मैं जान सकता हूं कि कांग्रेसियों के अतिरिक्त कौन से दल से महाराष्ट्र के सम्बन्ध में मशविरा किया गया था ? (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बंगाल तथा बिहार के विलय के सम्बन्ध में इस सदन में कुछ बातें कहीं गयीं। मैं इस सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि यह चीज कभी भी मेरे मस्तिष्क में नहीं आयी थी। जब यह चीज सबसे पहले हमारे सामने आई उस समय हमें बम्बई की घटनाओं से काफी धक्का लग चुका था। बम्बई और उड़ीसा की घटनाओं से हम सोचने लगे थे कि हम कहां जा रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता था कि इस भाषायी गड़बड़ी में हम बिलकुल खो जायेंगे और एक बार अपनी कटुता और क्रोध को व्यवहार में व्यक्त करके हमेशा एक दूसरे का सर फोड़ते रहेंगे। इसलिये इस प्रवृत्ति को रोकने तथा लोगों के विचार को दूसरी दिशा में मोड़ने की इच्छा आई।

मैं नहीं जानता कि यह विचार कहां से उत्पन्न हुआ या किसने शुरू किया। मुझे बिलकुल नहीं मालूम। जो भी हो, हुआ यह कि डा० राय और श्री कृष्ण सिन्हा अपने कुछ साथियों के साथ यहां थे और उन्होंने इस प्रश्न पर चर्चा की। मैंने इसे शुरू नहीं किया। उसके बाद तत्काल ही उन्होंने कोई चीज नहीं की। वे अपने-अपने प्रधान-कार्यालयों को गये और तब पांच-छः दिन बाद फिर वापस आये, अपने साथियों से मिलकर और इस प्रश्न पर चर्चा करके। और तब उन्होंने औपचारिक रूप से हमारे सामने रखा। हमारा उत्तर यह था कि यदि आप तैयार हैं तो हमें बहुत खुशी है। हमने अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाया था। स्पष्ट ही, इस प्रकार की चीज सभी सम्बन्धित लोगों की सद्भावना से ही हो सकती है। इन मामलों में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती।

श्री एन० सी० चटर्जी ने कांग्रेसी विनिर्णयों आदि का जिक्र किया। शायद श्री चटर्जी को ज्ञात नहीं है कि इस विषय पर कांग्रेस का दृष्टिकोण किस प्रकार विकसित हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि सन् १९२० अथवा इसके आसपास के वर्षों में हम पूरी तरह भाषायी प्रांतों के पक्ष में थे। हम पूरी तरह इस बात के पक्ष में थे कि किसी क्षेत्र विशेष का काम वहां की भाषा में ही किया जाय जिससे कि वहां की जनता भली भांति उसमें भाग ले सके। जहां तक इस चीज का सम्बन्ध है, अर्थात् क्षेत्र की भाषा में वहां का काम करना, हम अब भी इसके पक्ष में हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को आप मिलाइये मत। भाषा का महत्व तथा विकास और वे सीमायें ये दोनों एक ही चीज नहीं हैं। बाद को, यदि आप गत तीन-चार वर्षों के कांग्रेस द्वारा पास किये गये प्रस्तावों को देखो जो इस आयोग की नियुक्ति से पूर्व और इसके ठीक

†मूल अंग्रेजी में

बाद पास हुए थे तो आप पायेंगे कि उन सब में स्पष्ट कहा गया है कि भाषा एक महत्वपूर्ण अंग है परन्तु अन्य चीजें भी हैं जो उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जैसे आर्थिक तथा भौगोलिक विकास। और अन्त में इन सबसे ऊपर और महत्वपूर्ण चीज है भारत की एकता। यह है जो कांग्रेस बराबर कहती रही है। प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद से जो घटनाएं हुईं उन्हें देख कर स्वभावत: ही हमारा ध्यान इस बात पर गया कि एकता के पहलुओं तथा अन्य बातों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

बंगाल और बिहार को लीजिये। बंगाल और बिहार के बीच का क्षेत्र भारत का सर्वोत्तम औद्योगिक क्षेत्र है और कुछ ही वर्ष में यह सबसे अधिक औद्योगीकृत क्षेत्र हो जायगा। तो हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर सकते थे। इसलिये विकास के कारणों से बिहार और बंगाल का मिलकर काम करना अत्यन्त लाभदायक था।

गत कुछ वर्षों में हमें इस चीज का काफी अनुभव हो चुका है कि छोटे-छोटे मामलों में इसलिये विलम्ब हो जाता है कि दो सरकारें विरोधी दिशाओं में काम करती हैं। जो भी हो, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि इसके न्यायोचित कारण थे। यह महज़ भावनावश नहीं किया गया था। आप हर जगह देखेंगे कि आर्थिक पहलू पर पहले की अपेक्षा कहीं अधिक ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, साथ में भाषा का भी ध्यान रखा जाता है, सीमा के रूप में नहीं, वरन् काम को उस भाषा में करने के लिये जिससे कि भाषा के सांस्कृतिक पहलू को प्रोत्साहन मिलता रहे। कभी-कभी यह भी हो सकता है कि दो भाषाओं का प्रश्न आ जाये। मान लीजिये बंगाल और बिहार मिलकर एक संघ बना लेते हैं। बंगाली भाषा पर अथवा बंगाली में काम करने की स्थिति पर इस चीज का कोई प्रभाव बंगाल में नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार बिहार में हिन्दी भाषा को भी कुछ नहीं होगा। अपने-अपने क्षेत्रों में दोनों भाषायें पहले की भांति ही रहेंगी। किन्तु विकास के मामलों में इससे बहुत सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह वांच्छनीय है कि बहु-भाषायी क्षेत्र हों, जहां लोग स्वत: ही एक से अधिक भाषा जान जायें। इससे लाभ होता है। एकदम भाषायी सीमा बन्धन एक संकुचित मनोवृत्ति पैदा कर देता है।

†**आचार्य कृपलानी** : हम जानना चाहते हैं कि सरकार का दिमाग इस मामले में किस ओर काम कर रहा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं आचार्य कृपालानी के प्रश्न को समझा नहीं। मैं न केवल सरकार के विचारों का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न कर रहा हूं अपितु उसके विनिर्णयों का भी। आचार्य कृपालानी को मालूम है कि क्या विनिर्णय किये गये हैं।

†**आचार्य कृपलानी** : मुझे नहीं मालूम।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं।

†**श्री के० के० बसु** (डायमंड हार्बर) : वे बदलते रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बिल्कुल नहीं। बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ विनिर्णय अभी नहीं किये गये हैं। पंजाब के बारे में मेरा ख्याल है कोई उपयुक्त हल निकल आयेगा। अन्य विनिर्णय कर लिये गये हैं। बंगाल और बिहार के प्रश्न के सम्बन्ध में···

†**श्री के० के० बसु** : यह जबरदस्ती लादा गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लादे जाने का कोई सवाल नहीं है। प्रस्ताव आया और हमने इसका स्वागत किया। सम्बन्धित लोगों द्वारा इसको स्वीकृत किया जाना है। हम इसे लाद नहीं सकते, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अन्ततः यह मामला संसद् के सामने आयेगा। अभी सरकार को इस सम्बन्ध में विधेयक बनाना है जो कि संसद् के सामने रखा जायेगा। किन्तु यहां रखे जाने से पहले उसे राज्य सरकारों के विचार के लिये तथा उस पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिये भेजा जाना आवश्यक है।

†**श्री के० के० बसु** : क्या बंगाल के विषय में हाई कमान ने कुछ विनिश्चय कर लिया है अथवा···

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कदाचित् माननीय सदस्य का आशय दोनों राज्यों को मिलाने तथा दोनों भाषा प्रदेशों में प्रदेश परिषदें आदि बनाने के प्रस्ताव से है। मैं यहां उनके विस्तार में नहीं जा सकता हूं।

मुझे बड़ा दुःख है कि मैंने इतना समय ले लिया है और अभी तक मैंने बम्बई के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। हमें वहां की घटनाओं के बारे में किसी विशेष जाति अथवा दल को नहीं बदनाम करना चाहिये। यद्यपि इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि बम्बई में जो कुछ हुआ है वह बड़ा शर्मनाक है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : जो गोलियां चलाई गई हैं वह भी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसके विषय में सम्भवतः मुझ में और श्री मोरे में मतभेद है मैं वहां पर यह तो नहीं देख रहा था कि कितनी गोलियां चलाई गई हैं। किन्तु मैं कह सकता हूं कि जो कुछ बम्बई में हुआ उसके लिये किसी अन्य देश में सेना और टैंकों का भी प्रयोग किया जाता।

†**श्री कामत** : परन्तु प्रजातान्त्रिक देशों में नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किन्तु बम्बई में केवल पुलिस का ही प्रयोग किया गया है। बम्बई की घटनायें हम सब के लिये अत्यन्त दुःखमयी हैं। किसी भी आदमी को उसके लिये बदनाम करने का कोई लाभ नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंसा की वृत्ति से, चाहे उसके कुछ भी लाभ क्यों न हों, सबके मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। अब सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की कटुता को दूर किया जाय और उनके मनों को शांत बनाया जाय। श्री चटर्जी ने मुझे बताया है कि मैंने अपने ब्रोडकास्ट में 'अविखण्डनीय विनिश्चय' इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे पता नहीं श्री चटर्जी को ये शब्द कहां से मिले हैं। कुछ भी अविखण्डनीय नहीं होता है। प्रजातन्त्र में हम किसी समय भी बैठ कर किसी प्रकार के विषय पर विचार कर सकते हैं। अतः इस दृष्टि से कोई भी विषय अन्तिम रूप से निश्चित हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। शर्त केवल यही है कि विचार करने के लिये उपयुक्त वातावरण होना चाहिये। आप एक दूसरे को मारपीट कर या एक दूसरे से झगड़ कर विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। पहले हमें शांत होना चाहिये। श्री अशोक मेहता ने कहा है कि बम्बई के विषय में कोई भी ऐसा विनिश्चय जो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर लादा गया मालूम हो प्रसन्नतादायक निश्चय नहीं हो सकता है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। यह एक अभागा निश्चय हो सकता है, यह एक अनिवार्य निश्चय हो सकता है किन्तु प्रसन्नता-दायक निश्चय नहीं हो सकता है। यदि गुजराती अथवा महाराष्ट्रियों को यह महसूस हो कि उन पर कोई निर्श्चय लादा जा रहा तो यह कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। उनको तथा अन्य लोगों को भी बम्बई में इकट्ठे रहना है। किन्तु दुर्भाग्य से अब एक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि ठण्डे दिल से सोचना कठिन हो गया है। हमें शांत बनना चाहिये और यह ख्याल भुला देना चाहिये कि इसमें किसी दल का दूसरे दल पर प्रभुत्व जमाने का कोई प्रश्न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बम्बई के कुछ पूंजीपति ऐसा चाहते थे वैसा चाहते थे। किन्तु मुझे सारी बातचीत के दौरान एक भी पूंजीपति नहीं मिला है। मैं इतना ही जानता हूं कि उन्होंने एक ज्ञापन भेजा था किन्तु यह सब बेकार है। आपको यह समझ लेना चाहिये कि बम्बई के पूंजीपति किसी भी स्थिति में कार्य कर सकते हैं। मैं नहीं सोच सकता कि उनकी ओर से कोई कठिनाई पैदा हो सकती है। अब बम्बई के सम्बन्ध में दो प्रकार के प्रस्ताव रखे गये हैं। उनमें से एक वहां के जनमत संग्रह के बारे में है। मैं यह नहीं कहता कि हमें जनमत संग्रह नहीं करना चाहिये। कुछ मामलों

†मूल अंग्रेजी में

में यह अति आवश्यक हो सकता है । किन्तु यह कहना बड़ा भयावह है कि यहां पर कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं अतः इन सभी क्षेत्रों में हमें जनमत संग्रह करना चाहिये । यह कहीं कहीं वांच्छनीय हो सकता है किन्तु हम हिंसा भरे वातावरण में इस पर विचार नहीं कर सकते हैं । दूसरे बम्बई की घटनाओं के बारे में न्यायिकी जांच करने का प्रस्ताव रखा गया है । मेरा सामान्य मत यह है कि जब कभी भी कहीं पर कुछ उत्पात हो उसकी जांच होनी चाहिये । किन्तु जब मैं बम्बई की घटनाओं की जांच के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में गड़बड़ी सी पैदा हो जाती है । मुझे यह लगता है यह एक बड़ी भारी जांच होगी जो बरसों तक चलती रहेगी । क्या यह सम्भव नहीं है कि इस प्रकार की जांच से लोगों की भावनायें और भी भड़क उठें ? प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को दोषी सिद्ध ठहराने का प्रयास करेगा । यह और भी भयावह हो जायेगा । मुझे इसमें कोई भलाई नहीं दिखाई देती है ।

मैंने सभा का अधिक समय लिया है । मैं इसके लिये इसका आभारी हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कोई माननीय सदस्य अपने संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : सभी को मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभी संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

तब राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्न संशोधन मतदान के लिये रखे गये :

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का संक्षिप्त विषय
†१.	डा० लंका सुन्दरम्	सरकार की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में असन्तुलित नीति ।
†२.	श्री वी० जी० देशपांडे श्री एस० एस० मोरे	सरकार राज्य-पुनर्गठन के मामले को प्रजातान्त्रिक ढंग से सुलझाने में असफल रही है ।
†७.	श्री टी० बी० विट्ठल राव	खानों में सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है ।
†९.	श्री साधन गुप्त	सरकार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने में असफल रही है ।
†१०.	श्री साधन गुप्त	अभिभाषण में बंगाल और बिहार तथा अन्य राज्यों के विलय का अनुमोदन नहीं किया गया है ।
†११.	डा० रामा राव	राजनीतिक दबाव द्वारा राज्यों के विलय करवा के भाषावार राज्यों के पुनर्गठन में जटिलता उत्पन्न की जायेगी । इसका उल्लेख नहीं किया गया है ।
†१२.	डा० रामा राव	अभिभाषण में भाषावार राज्य बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में